

भाग एक : खण्ड सत्रह

मध्य प्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा

(To revoke perpetual on Forest land)

प्रतिसंहरण अधिनियम, 1973

6 जुलाई 1973 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई

(म.प्र. असाधारण-राजपत्र दि. 16-7-1973 पृष्ठ 2329-2333 पर प्रकाशित)

मध्य प्रदेश में की वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टों का प्रतिसंहरण करने तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो-

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (1) यह अधिनियम मध्य प्रदेश वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण अधिनियम, 1973 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक पर प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

टिप्पणी

- (1) यह अधिनियम दि. 1 अक्टूबर 1973 को प्रवृत्त हुआ। (नोटिफिकेशन क्र. F-18-4-73-1-3-X दिनांक 18 सितम्बर 1973 म. प्र. राजपत्र भाग (1) दिनांक 21 सितम्बर 1973 पृष्ठ 1472)
- (2) इस अधिनियम के उद्देश्य और कारणों का प्रमुख विवरण यह है कि भूतपूर्व राजाओं के परिवार के सदस्यों को विशेष अधिकारी के तौर पर वन भूमि के पट्टे दे दिये गए उनसे होने वाली आमदनी का कोई उपयोग किसी भी अंश में लोक हित में नहीं होता था। पट्टों की प्रीमियम की रकम भी समुचित मात्रा में नहीं थी, रियासती थी। राज्य के संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में समाज के कमजोर और पिछड़े लोगों के उत्थान का दायित्व है उसके निर्वहन के लिये यह आवश्यक समझा गया कि ऐसे पट्टे जो उद्योग-धंधों के लिये कच्चा माल सप्लाई (प्रदाय) करने के आशय से दिये गये हैं उन्हें छोड़कर शेष पट्टे जो तीस वर्ष या अधिक कालावधि के लिये दिये गये हैं उनका प्रतिसंहरण (Revoke) कर लिया जाए जिससे ऐसे संसाधनों का उपयोग गरीबी निवारण में हो सके।

धारा 2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो-

- (a) "नियत दिनांक" (Appointed date) से अभिप्रेत है, धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन नियत की गई दिनांक;
- (b) "वनभूमि" से अभिप्रेत है वन उत्पत्ति वाली सरकार भूमियां जो शाश्वत पट्टे के अधीन हो;
- (c) "औद्योगिक पट्टा" से अभिप्रेत है किसी उद्योग के लिये कच्चे माल के रूप में वन उपज के प्रदाय के लिये वन भूमि का पट्टा;
- (d) "पट्टेदार" से अभिप्रेत हैं-शाश्वत पट्टे का धारक;
- (e) "शाश्वत पट्टा" से अभिप्रेत है वन भूमि का तीस वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के लिए पट्टा, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई औद्योगिक पट्टा नहीं आता;
- (f) "उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई किन्तु परिभाषित नहीं की गई और उन्हें भारतीय वन अधिनियम क्र. 16/1927 में परिभाषित किया गया हो, वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में बताया गया है;

धारा 3. वन भूमि के शाश्वत पट्टे का प्रतिसंहरण (Revocation of perpetual lease of forest land) - (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर - वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टे नियत दिनांक पर और

नियम दिनांक से जो राज्य सरकार के विशेष अनुदान (Special grant) द्वारा या राज्य सरकार के साथ संविदा से या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के उपबन्धों के अधीन या किसी अन्य लिखित के पालन में इसके पूर्व अनुदत्त किये गये थे, से किसी अनुदान, संविदा विधि, नियम या लिखित (or instrument) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिसंहत (Stand revoked) हो जायेंगे और राज्य सरकार द्वारा पुनर्ग्रहीत (Resumed) कर लिये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन शाश्वत पट्टे का प्रति संहरण (Revocation) हो जाने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे-

- (a) वन भूमि जिसमें खेती योग्य या बंजर (barren) भूमि या घास भूमि, वृक्ष, पौधे जो वृक्ष न हों, (जिसके अन्तर्गत घास, लताएँ (Creepers), सरकण्डे या सीवर (reeds and moss) या वन उपज-शामिल है के समस्त अधिकार, स्वत्व (Titles) या हित जो पट्टेदार द्वारा, हित रखने वाले किसी व्यक्ति में निहित (Vesting) हों वे समाप्त हो जायेंगे और सभी भारों से मुक्त रूप में वे राज्य सरकार द्वारा पुनर्ग्रहीत (Shall stand resumed) हो जायेंगे और ऐसे किसी भी अधिकार पर का कोई प्रभार (Charge) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पट्टेदार को पट्टा धारण करने के अधिकार के लिये भुगतान योग्य रकम पर प्रभार होगा।
- (b) पट्टेदार का इस प्रकार प्रतिसंहत (revoked) और पुनर्ग्रहीत कोई हित, किसी सिविल या राजस्व न्यायालय की किसी डिक्री या अन्य आदेशित के प्रवर्तन (in execution) में कुर्की या विक्रय किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगा और नियत दिनांक पर आस्तित्व में कोई कुर्की और उक्त दिनांक के पूर्व की गई कुर्की-सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (क्र. 4/1882) की धारा 73 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए-प्रवृत्त नहीं रहेगी।

धारा 4. कतिपय वन भूमियों का पट्टेदार के कब्जे में बना रहना - शाश्वत पट्टे के अधीन की समस्त वन भूमियों का- जो कि नियत दिनांक के पूर्व ही - पट्टेदार द्वारा साफ कर दी गई हों और खेती के अधीन लाई गई हों - म. प्र. कृषि खेती की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्र. 20/1960) के अधीन नियत की गई अधिकतम सीमा के अध्याधीन रहते हुए - राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों और निबन्धों पर जैसी कि वह उचित समझे पट्टेदार के साथ व्यवस्थापन कर दिया जाएगा:

परन्तु इस धारा में कोई बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहां कि भूमि शाश्वत पट्टे की शर्तों और निबन्धों के उल्लंघन में साफ की गई है या खेती के अधीन लाई गई हो।

धारा 5. कलेक्टर का शाश्वत पट्टों के अधीन वन भूमि का कब्जा लेना - धारा 4 में विनिर्दिष्ट वन भूमियों को छोड़कर - शाश्वत पट्टों के अधीन अन्य समस्त वन भूमियों का कब्जा कलेक्टर, नियत, दिनांक पर लेगा।

धारा 6. पट्टेदार द्वारा विवरण (Statement) का प्रस्तुत किया जाना - (1) प्रत्येक पट्टेदार- जिसका कि धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शाश्वत पट्टा प्रतिसंहत (Revoked) हो गया है - नियत दिनांक से दो माह की कालावधि के भीतर कलेक्टर से समक्ष, उसके द्वारा धारित शाश्वत पट्टे के अधीन वन भूमि के बारे में विवरण विहित प्रारूप में फाइल करेगा - और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ विनिर्दिष्ट करेगा नामतः:

- (i) पट्टेदार का नाम;
 - (ii) शाश्वत पट्टे के अधीन पट्टेदार द्वारा-धारित वन भूमि की पूरी विशिष्टियाँ;
 - (iii) वन भूमि या उसके किसी भाग के बारे में यदि कोई हों - लम्बित मुकदमें बाजी की पूरी विशिष्टियाँ;
 - (iv) ऐसी अन्य विशिष्टियाँ (Particulars) जो कि विहित की जाएँ।
- (2) पट्टेदार द्वारा दिया गया प्रत्येक विवरण पट्टे विलेख (Lease deed) की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ और ऐसी अन्य दस्तावेज के साथ-जैसी कि विहित की जाय- संलग्न करके दिया जायेगा।
- (3) प्रत्येक ऐसा विवरण- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्र. 5/1908) के आर्डर 6 रूल 15 के अनुसार हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

धारा 7. शाश्वत पट्टे के प्रतिसंहरण के लिए पट्टेदार को भुगतान की जाने योग्य रकम का अवधारणा (Determination of amount payable to lessee for revocation of perpetual lease) - (1) धारा 6 के अधीन विवरण की प्राप्ति पर, या धारा 6 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी जाँच करने के पश्चात्- जैसी वह उचित समझे और पट्टेदार को सुने जाने का अवसर देने के बाद कलेक्टर, अनुसूची में दर्ज सिद्धान्त के अनुसार पट्टेदार को भुगतान योग्य रकम का अवधारण करेगा और प्रतिसंहत शाश्वत पट्टे का ब्यौरा विहित फार्म में, विवरण में, अभिलिखित करेगा जिसके बदले में ऐसी रकम का भुगतान होना है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कलेक्टर द्वारा अभिलिखित विवरण की एक प्रति प्रत्येक पट्टेदार को निःशुल्क प्रदाय की जायेगी।

धारा 8. अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन - म. प्र. अधिनियम क्र. 20/1959 के अनुसार होना : म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र. 20/1959) के अध्याय 5 के वे उपबन्ध - जो अपील, पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन से संबंधित है - कलेक्टर द्वारा, धारा 7 के अधीन पारित किये ये किसी आदेश को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे किसी कलेक्टर द्वारा उक्त कोड के अधीन दिये गये आदेश को लागू होते हैं।

धारा 9. न्यायालय द्वारा व्यादेश दिये जाने का वर्जन (Injunction by Civil Courtbarred) - ऐसे प्राधिकारी, जिसके समक्ष कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध धारा 8 के अधीन अपील, पुनरीक्षण लम्बित है, को छोड़कर - तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्टि किसी बात के होते हुए भी - कोई न्यायालय या प्राधिकारी - धारा 5 के अधीन कलेक्टर के समक्ष किसी कार्यवाही के बारे में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश (Injunction) जारी नहीं करेगा जो कि कार्यवाहियों को रोकने का प्रभाव रखेगा।

धारा 10. शाश्वत पट्टे के बदले में रकम का भुगतान -

(1) राज्य सरकार प्रत्येक पट्टेदार को, जिसका पट्टा धारा 3 के अधीन प्रतिसंहत किया गया है और जिसकी रकम अनुसूची में बताये सिद्धान्तों के अनुसार धारा 7 के अधीन अवधारित की गई है, भुगतान करेगी।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्याधीन रहते हुए - उपधारा (1) के अधीन भुगतान योग्य रकम नकद भुगतान की जायेगी और प्रतिसंहरण के कब्जे देने के दिनांक से, भुगतान करने के दिनांक तक 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष, ब्याज उस पर दिया जावेगा।

परन्तु यह कि वहाँ रकम पट्टेदार की ओर से व्यतिक्रम (default) होने के कारण भुगतान करने से शेष बनी रहती है और उसे विहित फार्म तथा रीति में उस बारे में तीस दिन से अन्त्यून (not less than) समय का (दिनों का) नोटिस दिया गया है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार रकम का भुगतान राज्य सरकार को वन भूमि के शाश्वत पट्टे के प्रतिसंहरण के बदले किसी रकम के भुगतान के समस्त दायित्व से उन्मुक्ति (discharge) होगी और ऐसी वन भूमि के बारे में राज्य सरकार के विरुद्ध, किसी भी भुगतान के बाबत कोई अतिरिक्त दावा उस पर नहीं लाया जाएगा।

धारा 11. नियम बनाने की शक्ति - (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के समस्त आश्यों या उनमें किसी आशय के लिए कार्यान्वयन हेतु नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना - ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात्-

(A) वे निबन्धन तथा शर्तें जिन पर कि उस वन भूमि का, जिस पर कि खेती की जाने लगी हो, धारा 4 के अधीन व्यवस्थापन किय जाना,

(B) (एक) वह प्रारूप जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन विवरण फाइल किया जाएगा;
(दो) धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) के अधीन अन्य विशिष्टियाँ (तीन) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अन्य दस्तावेजें।

- (C) वह प्रारूप - जिसमें कलेक्टर द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन विवरण अभिलिखित किया जाएगा;
- (D) वह प्रारूप तथा रीति - जिसमें धारा 10 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन सूचना दी जाएगी।
- (E) कोई विषय जो विहित किया जाना हो या विहित (Prescribe) किया जाए।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

धारा 12. यह अधिनियम, कतिपय शाश्वत पट्टों को लागू नहीं होगा - इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात उस पट्टे को लागू नहीं होगी जिसकी कि कुल आय जन साधारण के हितों की अभिवृद्धि के लिये समाज के कमजोर वर्गों के और विशिष्टतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिये विनियोजित की जाती है-

अनुसूची

(धारा 7(1) तथा धारा 10(1) देखिये)

(1)	100 एकड़ से अधिक न हो	प्रत्येक या उसके भाग के लिए 50/- रुपये
(2)	100 एकड़ से अधिक हो किन्तु 200 एकड़ से अधिक न हो	पाँच हजार रुपये + 100 एकड़ से ऊपर प्रत्येक एकड़ या उसके भाग के लिए 45/- रुपये
(3)	200 एकड़ से अधिक हो किन्तु 300 एकड़ से अधिक न हो	नौ हजार पाँच सौ रु. + दो सौ एकड़ से ऊपर प्रत्येक एकड़ या उसके भाग के लिए 40/- रुपये
(4)	300 एकड़ से अधिक हो किन्तु 400 एकड़ से अधिक न हो	तेरह हजार पाँच सौ रु. + तीन सौ एकड़ से ऊपर प्रत्येक एकड़ या उसके भाग के लिए 35/- रुपये
(5)	400 एकड़ से अधिक हो किन्तु 500 एकड़ से अधिक न हो	सत्रह हजार रुपए + 400 एकड़ से ऊपर प्रत्येक एकड़ या उसके भाग के लिए 30/- रुपये
(6)	500 एकड़ से अधिक हो किन्तु 600 एकड़ से अधिक न हो	बीस हजार रुपए + 500 एकड़ से ऊपर प्रत्येक एकड़ या उसके भाग के लिए 25/- रुपये
(7)	600 एकड़ से अधिक हो किन्तु 700 एकड़ से अधिक न हो	बाईस हजार पाँच सौ रुपए + 600 एकड़ से ऊपर प्रत्येक एकड़ या उसके भाग के लिए 20/- रुपये
(8)	700 एकड़ से अधिक हो किन्तु 800 एकड़ से अधिक न हो	चौबीस हजार पाँच सौ रु. + 700 एकड़ से ऊपर प्रत्येक एकड़ या उसके भाग के लिए 15/- रुपये
(9)	800 एकड़ से अधिक	छब्बीस हजार रुपये + 800 एकड़ से ऊपर प्रत्येक एकड़ या उसके भाग के लिए 10/- रुपये